

13/7/21 पत्रावली आज पेश हुई।

अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील सूचना के अधिनार अधिमियम-2005 की धारा 19(1) के तहत लौ.सू.अ. (ASAM) पाली के विरुद्ध पेश की गई थी। लौ.सू.अ. (ASAM) पाली द्वारा जरिये पत्रांक/श.लौ.सू.अ./6/3/158/2021/864 दिनांक 7/6/21 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलांत द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार रायपुर/उपतहसीलदार सेन्ट्रल से संबंधित होने से उनके जरिये पत्रांक एफ/कलेक्टर पाली/1410331615/158/2021/576 दिनांक 26/3/21 से अनुरित किया गया था। अतः अपीलांत द्वारा वांछित सूचना लौ.सू.अ. (ASAM) पाली से संबंधित न होकर तहसीलदार रायपुर/उपतहसीलदार सेन्ट्रल से संबंधित हैं इस बात अपना पक्ष रखने हेतु अपीलांत को नोटिस क्र. 954 दिनांक 21/6/21 को भिजवाया गया इसके उपरान्त भी अपीलांत उपस्थित नहीं हुआ। अतः यह माना जाता है कि अपीलांत को इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फंसल लेकर नम्बर से कम हो।

A

जिजा कलक्टर, बाला

197-8PT
15/7/21

147P
15/7/21

जिजा उडहलक काली

